प्रेस विज्ञप्ति

कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त योजना के **अन्तर्गत माह अप्रैल, मई एवं जून, 2020** में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आच्छादित समस्त राशन कार्डधारकों (अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी) को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 चावल का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। चावल के निःशुल्क वितरण के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावी रहे इस हेतु राशन कार्ड धारकों के मध्य चावल वितरण के लिये उनके **राशन कार्ड संख्या के अन्तिम अंक पर आधारित रोस्टर प्रणाली निर्धारित की गयी है,** जो निम्नवत् है :–

क0सं0	राशन कार्ड का अन्तिम अंक	निःशुल्क चावल वितरण की तिथि
1	xxxxxxxxxxx1 से xxxxxxxxxxx2	15 अप्रैल 2020
2	xxxxxxxxxxx3 से xxxxxxxxxxx4	16 अप्रैल 2020
3	xxxxxxxxxxx5 से xxxxxxxxxxx6	17 अप्रैल 2020
4	xxxxxxxxxxx7 से xxxxxxxxxxx8	18 अप्रैल 2020
5	xxxxxxxxxxx9 से xxxxxxxxxxx0	19 अप्रैल 2020

किन्ही कारणों से उक्त तिथियों में खाद्यान्न प्राप्त करने से **छूट गये कार्डधारक दिनांक 20.04.2020 से 26.04.2020 के मध्य किसी भी दिन चावल प्राप्त कर सकते है।** उक्त के अतिरिक्त अन्य आवश्यक दिशा निर्देश निम्नवत् रहेंगे :–

01. चावल का वितरण 05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट (प्रति व्यक्ति) निःशुल्क किया जायेगा।
02. प्रत्येक उचित दर दुकान पर साबुन, पानी, सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखा जायेगा।
03. प्रत्येक लाभार्थी (मास्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि से) मुँह ढक कर ही उचित दर दुकान पर खाद्यान्न लेने आयेगा।
04. विक्रेता द्वारा भी (मास्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि से) मुँह ढक कर ही वितरण आदि कार्य किया जायेगा।
05. ई–पॉस मशीन का प्रयोग करने से पूर्व एवं पश्चात् कार्डधारक अपने हाथ साबुन/सेनेटाइजर से धोयें।
06. सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करते हुये एक दूसरे से न्यूनतम 1 मीटर की दूरी बनाये रखेंगे।
07. दुकान पर एक साथ भीड़ इकट्ठी न हो इस हेतु मोहल्लेवार रोस्टर एवं लाभार्थीवार टोकन व्यवस्था लागू की जाएंगी।
08. वितरण का प्रारम्भ उ0द0दुकान से सम्बद्ध उस मजरे/मोहल्ले से किया जायेगा जिसमें सर्वाधिक गरीब लाभार्थी निवासित हों।
09. उचित दर विक्रेता, ई–पॉस मशीन में अँगूठा लगाये जाने वाले स्थान (Thumb Scanner Area) को प्रत्येक प्रमाणीकरण के बाद सेनिटाइज करेंगे।

(अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला पूर्ति अधिकारी,
कानपुर नगर।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक 1290 /जि0पू0अ0/PMGKAY–नि0चा0वि0 /प्रेस विज्ञप्ति/2020 दिनांक 11 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर को अवलोकनार्थ।
02. उप निदेशक, सूचना जनपद कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ कि वे समस्त प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार– प्रसार कराने का कष्ट करें।

11/04/2020
जिला पूर्ति अधिकारी,
कानपुर नगर।